

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

क्रमांक एफ-5()शैक्ष./कोविको/2015/ 1672

दिनांक 23/5/16

मंत्री/सचिव

विवेकानन्द शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,

सुरीठ

जिला-करौली (राज.)

विषय:-सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा नवीन विषय बीए.-बी.एड./बी.एस.सी.-बी.एड. चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड पाठ्यक्रम सत्र 2017-18 से प्रारम्भ किये जाने हेतु आदे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में ।

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक 2008 दिनांक 09.05.2016

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि संयुक्त सचिव राज्य सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक F.31(1)Edu.-4/2015 dated 23.02.2016 द्वारा विश्वविद्यालय को अवगत कराया गया है कि सत्र 2017-18 के लिए सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा नये इन्टीग्रेटेड कोर्स को प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulation 2014 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा गण्य के समस्त विश्वविद्यालयों को सत्र 2017-18 के लिए संस्था द्वारा सम्बन्धित विश्वविद्यालय से मांग करने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र(NOC) जारी किये जाने हेतु उक्त कार्यालय आदेश जारी किया गया है ।

सत्र 2017-18 में पूर्व सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा नवीन बीए.-बी.एड./बी.एस.सी.-बी.एड. चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड प्रारम्भ करने हेतु एनसीटीई/राज्य सरकार द्वारा पूर्व संचालित संस्था/समिति/महाविद्यालय को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु विश्वविद्यालय स्टेटीयूट 37(1) प्रावधानानुसार पूर्व सत्र के 31 दिसम्बर, 2016 तक सामान्य शुल्क के साथ तथा इसके पश्चात् तीन गुने विलम्ब शुल्क के साथ 31 मई 2017 तक सत्र 2017-18 के लिए सम्बद्धता एवं निरीक्षण शुल्क जमा किया जाना आवश्यक है।

सत्र 2017-18 में एनसीटीई/राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो संस्था को तीन गुने विलम्ब शुल्क के साथ सम्बद्धता व निरीक्षण शुल्क 31 मई 2017 तक जमा किया जाना आवश्यक है। सम्बद्धता एवं निरीक्षण शुल्क के अभाव में विश्वविद्यालय द्वारा संस्था के प्रार्थना पत्र अथवा एनसीटीई/राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने पर भी प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्था/समिति की होगी ।

HSAN
कुलसचिव

संलग्न:- अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।


मंत्री
इन्दिरा गाँधी स्मृति शिक्षण संस्थान
सुरीठ, जिला - करौली (राज०)

UNIVERSITY OF KOTA, KOTA

No. F-5() Acad./UOK/2016/

Dated

NO OBJECTION CERTIFICATE


As the affiliating body, University of Kota, Kota has "No Objection" to affiliate the applicant institution **Vivekanand Teacher Training College, Suroth, Distt.-Karauli** for the B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed. 4 year integrated courses for the session 2017-18 recognized by the Northern Regional Committee of the National Council for Teacher Education (NCTE) subject to fulfillment of the conditions for affiliation of this University.

Such affiliation will ensure adoption of the Programme-Curriculum prescribed by the NCTE, conduct of examinations and award of degrees. The University will also participate in the faculty recruitment process and certify the approved faculty list.

As the affiliating body, the University of Kota, Kota will also monitor the functioning of the institution to ensure its adherence to the norms and standards prescribed by NCTE and observance of our conditions of affiliation.

This is for your kind information and necessary action.

Yours faithfully


मेत्री
इन्दिरा गाँधी स्मृति शिक्षण संस्थान
सुरौठ, जिला - करौली (राज०)

REGISTRAR